



**-:प्रेस नोट:-**

दिनांक- 06.06.2026

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ "ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना चिल्ला एवं एएनटीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतरजनपदीय 03 अवैध गांजा तस्करो को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 65 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा किया गया बरामद।

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन ईगल" के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में थाना चिल्ला और एएनटीएफ झांसी एवं कानपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतरजनपदीय अवैध गांजा तस्करो को ग्राम अतरहट के पास से किया गया गिरफ्तार। गौरतलब हो कि दिनांक 05.06.2026 की रात्रि थाना चिल्ला और एएनटीएफ झांसी की संयुक्त पुलिस टीम पुलिस गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम अतरहट के पास से 03 अवैध गांजा तस्करो को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 65 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में गहनता से जांच की जा रही है कि अभियुक्तों के द्वारा अवैध गांजे के कहां से और किसके माध्यम से गांजे की खरीद/बिक्री की जा रही थी।

### **बरामदगी-**

- 65 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा।
- 03 मोबाइल फोन

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अंकित उर्फ कल्लू पुत्र बृजराज निवासी अतरहट थाना चिल्ला जनपद बांदा।
2. सौरभ उर्फ बिल्लू पुत्र विजयराज निवासी अतरहट थाना चिल्ला जनपद बांदा।
3. संजय उर्फ बउवा पुत्र जगदीश निवासी खण्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

### **पंजीकृत अभियोग-**

- मु0अ0सं0- 69/26 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

### **आपराधिक इतिहास अंकित उर्फ कल्लू -**

1. मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0- 69/26 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

### **आपराधिक इतिहास संजय उर्फ बउवा -**

1. मु0अ0सं0- 197/22 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 75/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 316/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 01/26 धारा 2(बी)II/3 गैग्रेस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0- 69/26 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिल्ला जनपद बांदा।

## गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री चन्दन पाण्डेय प्रभारी एएनटीएफ झांसी मय टीम
2. श्री अर्पित पाण्डेय थानाध्यक्ष चिल्ला
3. श्री अंश त्यागी चौकी प्रभारी पपरेंदा
4. उ0नि0 श्री संतोष कुमार थाना चिल्ला
5. उ0नि0 श्री रामलाल वर्मा थाना चिल्ला
6. उ0नि0 श्री मनीष कुमार एएनटीएफ झांसी
7. हे0कां0 कौशल कुमार यादव एएनटीएफ कानपुर
8. कां0 सचिन कुमार थाना चिल्ला
9. कां0 गजेन्द्र सिंह एएनटीएफ झांसी
10. कां0 श्याम सुन्दर एएनटीएफ कानपुर